

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेङ्गलूर नम्बर २४-२५
दक्षिण मार्ग, सेक्टर ३१ ए
चण्डीगढ़-१६००३०
दिनांक: 06.10.2017

F.No. :- 9-HRB027/2017-CHA

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़-160001

विषय:- Diversion of 0.0166 ha. of forest land for access to industry of M/s Can-Pack India (P) Ltd. along Nuh-Hodal road, R/s at village Jaisinghpur, under Forest division and District Mewat Nuh , Haryana.

संदर्भ:- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन 6959/3805 दिनांक 02.02.17 व ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या **FP/HR/IND/23855/2017**

2 नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन 6959/1880 दिनांक 18.09.17

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0166** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर ऑनलाइन जमा करवाएगी।
- Original copy of FRA certificate will be provided.


3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधे कटवाए जायें एवं कटवाए जाने वाले पौधों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।

- v. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- ix. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। प्रत्येक खम्बे पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस०निर्देशांक तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंग्रेजी तथा पीछे लिखी जायेगी।
- x. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिखे जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

प्रबन्धीय



(सी.डी. सिंह)

अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केंद्रिय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बासा, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Mewat Nuh, Haryana.
4. M/s Can-Pack India Privat Ltd. L-18/25 to L-18/28 & L-19, MIDC, Wairu, Auranagabad